न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **शरद तँवर, (आर.जे.एस.)**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दांडिक निगरानी संख्या 55/2026

नारायणसिंह पुत्र सुगनसिंह, उम्र-वयस्क, निवासी-194 राईकों का बास, काणदरा, तहसील व जिला पाली (राज.)

..... निगरानीकार/अभियुक्त

-बनाम-

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, पाली (राज.)

..... गैर-निगरानीकार/अप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 438 बीएनएसएस, 2023 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.04.2026 जो कि विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा बअनवान नारायणसिंह बनाम राज. राज्य (सीआर नं. 99/2026 पुलिस थाना सदर, जिला पाली में पारित किया गया जिसके द्वारा निगरानीकार/अभियुक्त नारायणसिंह की कार सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 बीएनएसएस खारिज किया गया।

उपस्थिति:-

1. **श्री गजेन्द्रसिंह,** विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार/अभियुक्त की ओर से।
2. **श्री निखिल व्यास**, अपर लोक अभियोजक गैर निगरानीकार की ओर से।

<u>आदेश</u> दिनांक 04.06.2026

1. इस प्रकरण में निगरानीकार **नारायणसिंह** की ओर से गैर निगरानीकार राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, पाली के विरूद्ध यह निगरानी याचिका धारा 397 द.प्र.सं. (438 बीएनएसएस) के तहत विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा पारित आदेश

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

दिनांक 09.04.2026 को अपास्त कराने हेतु न्यायालय श्रीमान सेशन न्यायाधीश, पाली के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो फौजदारी निगरानी प्रकरण के रूप में दर्ज की जाकर विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण में गैर-निगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं संबंधित केस डायरी तलब की गयी। बहस उभयपक्षीय सुनी गयी। अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.03.2026 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला पाली कपूराराम चौधरी मय जाप्ता द्वारा टोल प्लाला सोनाई मांजी पर वाहनों की चैकिंग के दौरान समय 02.30 पीएम पर उदयपुर की तरफ से आई Chevrolet beat **कार रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे. 14 सीआर 2855** को रूकवाकर चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम नारायणसिंह पुत्र सुगनसिंह होना बताया। नियमानुसार तलाशी लेने पर कार की आगे की सीट के नीचे एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में थैली सहित 950 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। नारायणसिंह ने उक्त अवैध मादक पदार्थ को अपने कब्जे में रखने बाबत कोई लाईसेंस व परमिट नहीं होना बताया। .....इत्यादि बरामदगी पर पुलिस थाना सदर जिला पाली में प्रकरण सं. **99/2026**, धारा **8/15 एनडीपीएस एक्ट** के तहत दर्ज किया गया। उक्त कार्यवाही के पश्चात निगरानीकार द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा कार को सुपुर्दगीनामें पर सुपुर्द किये जाने बाबत विद्वान विचारण न्यायालय में धारा 503 बीएनएसएस का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे बाद सुनवाई अस्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर निगरानीकार की ओर से यह निगरानी पेश की गई।

3. प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

> ''क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक **09.04.2026** को पारित आलौच्य आदेश अशुद्ध, अवैध और औचित्यहीन होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं अथवा नहीं ?''

4. निगरानीकार की ओर से अपनी निगरानी याचिका के संदर्भ में यह अभिवचन एवं तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि उक्त प्रकरण में पुलिस वालों

द्वारा निगरानीकार की उक्त कार को जब्त कर अपने कब्जे में ले रखा है, पुलिस को उक्त कार की आवश्यश्कता नहीं है। निगरानीकार उक्त कार का एकमात्र स्वामी व दावेदार है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त कार को सुपुर्दगी पर देने बाबत निगरानीकार का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि-सम्मत नहीं है, अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक **09.04.2026** अपास्त करते हुए प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर समुचित शर्तो पर उक्त मोटरसाईकिल को अंतरिम सुपुर्दगी पर प्रदान किया जाये।

5. निगरानीकार/अभियुक्त की ओर से अपनी निगरानी याचिका के समर्थन में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक **09.04.2026** व उक्त कार के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि पेश की।

6. गैर-निगरानीकार की ओर से कोई लिखित जवाब एवं दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं, बल्कि मौखिक रूप से विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्ण रूप से विधि-सम्मत है जिसे सम्पुष्ट किया जाकर यह निगरानी याचिका खारिज की जाये।

7. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत हुए उभयपक्षीय तर्को के संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निम्न न्याय दृष्टान्तों का उल्लेख किया जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया:-

1. सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य,ए.आई.आर. 2003 (एस.सी.) पेज 668.
2. सेनाबा बनाम दी स्टेट ऑफ केरल व अन्य, दांडिक अपील नंबर 2005/2022 (एस.एल.पी.) (क्रिमी.) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-11-2022
3. तरूण कुमार माझी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
   SLP (Cri.) No. 17081/2024 निर्णय दिनांक 03.03.2025
4. नूर आगा बनाम पंजाब राज्य
   (2008) 16 एस.सी.सी. 417

5. भोलासिंह उर्फ आयुषसिंह बनाम बिहार राज्य, दाण्डिक विविध याचिका संख्या 40912/2016 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2024
6. भागीरथ बनाम राजस्थान राज्य, दाण्डिक विविध याचिका संख्या 1086/2023 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2023
7. देवेन्द्रकुमार बनाम राजस्थान राज्य, दाण्डिक विविध याचिका संख्या 1598/2020 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2020
8. राजेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान राज्य
   2025: RJ-JP 19791 निर्णय दिनांक 12.05.2025
9. देनेश बनाम स्टेट आफ तमिलनाडू
   2025(4) सी.जे.(क्रिमी.)(एससी) 1270

8. पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में उक्त कार का मालिक निगरानीकार/अभियुक्त स्वयं होना तथा उक्त कार की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

9. प्रार्थी की ओर से उल्लेख किये गये पूर्वोक्त माननीय न्याय दृष्टान्तों के अनुसार बतौर वजह सबूत जब्त सुदा मालखाना सामग्री को अनुसंधान के बाद अनावश्क रूप से सुरक्षित रखा जाना उचित नहीं है, बल्कि उसका नियमानुसार निस्तारण आवश्यक है, एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में जब्त वजह सबूत वस्तु-वाहन को राज्यसात (Confiscate) करने संबंधित प्रक्रिया न्यायालय द्वारा मामले के विचारण के उपरान्त की जानी होती है, वह भी तब जब वस्तु-वाहन के दावेदार व्यक्ति को सुनवायी का अवसर दे दिया गया हो, इस दौरान ऐसी वस्तु-वाहन को उसके वास्तविक स्वामी को अंतरिम अभिरक्षा में समुचित शर्तो पर सुपुर्द कर देने की शक्ति न्यायालय में निहित है, इस हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान उस हद तक लागू होते हैं जहॉ तक कि एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों से असंगत ना हो तथा प्रकरण में अभियोजित आरोपों की गम्भीरता के आधार पर ऐसी वस्तु-वाहन उसके वास्तविक स्वामी को अंतरिम अभिरक्षा में सुपुर्द करने से इन्कार नही किया जा सकता है। धारा 35 एवं 54 एनडपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त के विरूद्ध रिवर्स बर्डन ऑफ

प्रूफ बाबत उपधारणा लागू होने के लिये, उसके विरूद्ध विचारण में उक्त प्रावधानों में वर्णित परिस्थितियों का पूर्णतया समाधान होना आवश्यक है तथा इसका प्रारंभिक भार अभियोजन पक्ष रहता है जिसके निर्वहन की संतुष्टि के बाद ही अभियुक्त पर उक्त विधिक भार अंतरित होता है। यद्यपि प्रार्थी इस प्रकरण में अभियुक्त है, किन्तु खुद उसे जमानत पर रिहा किया जा चुका है, ऐसे में उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर नहीं दिये जाने का कोई समाधानप्रद कारण दर्शित नहीं है। विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य के हितों की पूर्ति एवं भविष्य में वस्तु-वाहन को राज्यसात किये जा सकने की आवश्यकता की पूर्ति, सुपुर्दगी आदेश में समुचित शर्तें अधिरोपित करके की जा सकती है।

10. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा Bishwajit Dey vs State of Assam, Criminal Appeal no. **87/2025** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2025 को पारित किये गये निर्णय का उल्लेख आलौच्य आदेश में किया गया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त माननीय न्याय दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा सं. 19 से 28 एवं विशेष रूप से पैरा सं. 31 में प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तों पर हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के संदर्भ में गौर नहीं किया गया है।

11. अतः माननीय न्याय दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश शुद्ध, वैध एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

12. परिणामः निगरानीकार/अभियुक्त नारायणसिंह की ओर से राजस्थान राज्य के विरूद्ध प्रस्तुत यह निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 438 बीएनएसएस स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक **09.04.2026** को अपास्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रति-प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता हैं कि पूर्वोक्त न्याय दृष्टान्तों में प्रतिपादित विधि के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में निगरानीकार को सुनवायी

का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत आदेश, पारित करें। केस डायरी लौटायी जावे। आदेश की सत्य-प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(शरद तँवर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

13. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शरद तँवर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.08 09:43:48 IST